| |
|---|
| दिनांक 02.07.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 358/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**जनपद बदायूँ/थाना सिविल लाइन**

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल/मृत**
- **लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण, नगद रूपये**
- **01 अवैध पिस्टल सेमी आटोमैटिक, 01 मैगजीन मय 02 जीवित, 05 खोखा कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 09 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 01.07.2026 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कठौली कोल्ड स्टोर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में दो पुलिस कर्मी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ ढालू घायल हो गया, जिसके कब्जे से लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण, नगद रूपये, 01 अवैध पिस्टल सेमी आटोमैटिक, 01 मैगजीन मय 02 जीवित, 05 खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 09 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर चिकित्सकों द्वारा घायल अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ ढालू को मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ ढालू शातिर किस्म का अपराधी था, जिसके विरूद्ध जनपद बदायूँ, अमरोहा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, अबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**मृत अभियुक्त**

1–जितेन्द्र उर्फ ढालू निवासी ग्राम बछेडा थाना धौलाना जनपद हापुड़, हालपता ग्राम जिनेटा बनियाठेर जनपद सम्भल।

**बरामदगी**

1–लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण, नगद रूपये।

2–01 अवैध पिस्टल सेमी आटोमैटिक, 01 मैगजीन मय 02 जीवित, 05 खोखा कारतूस।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 09 खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

**जनपद प्रतापगढ़/थाना जेठवारा**

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 01.07.2026 को थाना जेठवारा व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गजराही पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–चंदेश उर्फ पिंटू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–तेज बहादुर उर्फ तेजे सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जेठवारा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जेठवार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–चंदेश उर्फ पिंटू निवासी ग्राम पूरेचन्दन खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

2–तेज बहादुर उर्फ तेजे निवासी ग्राम पूरेचन्दन खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

**बरामदगी**

1–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

## जनपद हरदोई/थाना कासिमपुर

- **25–25 हजार रूपये का 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 20.52 ग्राम सोने व 436.14 ग्राम चांदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 02.07.2026 को थाना कासिमपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करलावा गौसापुर के बीच नहर पटरी के पास से पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों 1–आमीन 2–दानिश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 20.52 ग्राम सोने व 436.14 ग्राम चांदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कासिमपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कासिमपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–आमीन निवासी अटियानगर किशोरगंज थाना सहादतगंज, लखनऊ।

2–दानिश निवासी ग्राम लकडमंडी थाना सहादतगंज, लखनऊ।

**बरामदगी**

1—लूट के 20.52 ग्राम सोने व 436.14 ग्राम चांदी के आभूषण।

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3—02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

**जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद**

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **ठगी के पीली धातु के आभूषण**
- **05 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 01.07.2026 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छिछामई नहर पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शेषपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से ठगी के पीली धातु के आभूषण, 05 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, इटावा व मैनपुरी के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—शेषपाल निवासी ग्राम जौनई थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

**बरामदगी**

1—ठगी के पीली धातु के आभूषण।

2—05 हजार रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

## जनपद गाजीपुर/थाना सैदपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 01.07.2026 को थाना सैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नगीना घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सैदपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—नगीना निवासी ग्राम भड़सर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर हालपता—ग्राम शेरमठ थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर।

**बरामदगी**

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

## जनपद कौशाम्बी/थाना मंझनपुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की पीली धातु (5.8 ग्राम) व सफेद धातु (01 किलो 34 ग्राम) की सिल्ली**
- **लूट के 50 हजार रूपये नगद व 01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 01.07.2026 को थाना मंझनपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोर्रो गांव के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अंचू उर्फ देवेश 2–राजाराम उर्फ रामराज घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की पीली धातु (5.8 ग्राम) व सफेद धातु (01 किलो 34 ग्राम) की सिल्ली, लूट के 50 हजार रूपये नगद व 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.06.2026 को थाना मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मंझनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद पीली–सफेद धातु, रूपया, मोबाइल फोन आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अंचू उर्फ देवेश के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़, महोबा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त राजाराम उर्फ रामराज के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़ व कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मंझनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—अंचू उर्फ देवेश निवासी करैटी रोड कस्बा व थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2—राजाराम उर्फ रामराज निवासी मौनस का पुरवा, भदरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

**बरामदगी**

1—लूट की पीली धातु (5.8 ग्राम) व सफेद धातु (01 किलो 34 ग्राम) की सिल्ली।

2—लूट के 50 हजार रूपये नगद व 01 मोबाइल फोन।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

**जनपद फिरोजाबाद/थाना नसीरपुर**

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 कुन्तल 69 किलो 92 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 कन्टेनर वाहन बरामद**

दिनांक 02.07.2026 को थाना नसीरपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करनपुर मार्ग पुलिया के पास से अभियुक्त पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 कुन्तल 69 किलो 92 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, 01 कन्टेनर वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नसीरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—पन्नालाल निवासी ग्राम विरामपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

**<u>बरामदगी</u>**

1–लगभग 03 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 कुन्तल 69 किलो 92 ग्राम अवैध गांजा।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 कन्टेनर वाहन।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/353/332/333/504/506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक को मृत्युदण्ड व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना अजीतमल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अजीतमल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त तैय्यब को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————